अध्याय–8
निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

8.1 निष्कर्ष

संघ सरकार का लोक ऋण, जिसमें आन्तरिक और बाहय ऋण सम्मिलित है, का प्रबंधन विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जिसमें आन्तरिक ऋण का प्रबंधन एम ओ एफ के डी ई ए के बजट प्रभाग द्वारा आर बी आई के आई डी एम डी के सहयोग से और बाह्य ऋण का प्रबंधन डी ई ए के विभागों जैसे कि एम आर, बी सी तथा एम आई द्वारा तथा सी ए ए ए के सहयोग से किया जाता है। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष नीचे प्रस्तुत है :

- ऋण प्रबंधन के लिए कानूनी संरचना लोक ऋण शब्द को परिभाषित नहीं करता था। कानूनी संरचना स्पष्ट रूप से ऋण प्रबंधन उद्देश्यों और उधार के प्रयोजनों को नहीं बताता, और साथ ही एक ऋण प्रबंधन रणनीति को बनाने की आवश्यकता को नही दर्शाता था।
- प्रतिभूतियों की नीलामी में पी डी पर डिवोल्वमेंट के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मापदण्ड/दिशानिर्देश नही थे। बाद में आर बी आई ने सूचित किया (मई 2016) की डिवॉल्वमेंट मापदंड पर एक नीति बना ली गई है जिसमें अन्य बातों के साथ डिवॉल्वमेंट निर्णय पर पहुँचने के लिए विचारणीय मामले समाहित हैं।
- जाँच समिति की बैठक के कार्यवृत्त ने यह इंगित नहीं किया कि ज्ञान हस्तानांतरण, तकनीकी हस्तानांतरण तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में श्रेष्ठ प्रथा हस्तांनातरण पर 82 अनुमोदित परियोजनाओं में से 60 में बाह्य सहायता के लिए परियोजनाओं को अनुमोदित करते हुए विचार किया गया।
- सी एम बी जो कि सरकार की अस्थायी नकदी प्रवाह भिन्नताओं से निपटने के लिए शुरू किए गए थे, को मौद्रिक नीति लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया गया।
- लोक ऋण सूचना व्यवस्था जिसका प्रयोग आन्तरिक ऋण के लिए (ई–कुबेर) और बाह्य ऋण के लिए (आई सी एस) किया जाता है, में विश्लेषणात्मक कार्यों के लिए व्यवस्था नहीं था।
- सरकार की सभी आन्तरिक और बाह्य देयताओं पर कोई केन्द्रीकृत डेटाबेस नहीं था। इसके अतिरिक्त, डी ई ए विभिन्न प्रभागों और आर बी आई द्वारा प्रकाशित आन्तरिक ऋण आँकड़ों में अन्तर पाए गए।

8.2 अनुशंसाएँ

पूर्व अध्यायों में चर्चा किये गये लेखापरीक्षा प्राप्ति पर आधारित निम्न अनुशंसाएं की गई जाती हैं :

- विधिक संरचना में, जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक विधान दोनों शामिल हैं, लोक ऋण की परिभाषा, ऋण प्रबंधन के उद्देश्यों, उधार के प्रयोजनों तथा ऋण प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता को शामिल किया जा सकता है। डी ई ए चरणों में इसे करने का विचार करें।

- 'फाइनेंस प्लस' मापदण्ड की शर्त बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान/बहुपक्षीय विकास बैंक के ज्ञान आधार, अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव तथा श्रेष्ठ प्रथाओं के साथ परिचय की पहुंच को अधिकतम करने और इसका लाभ उठाने को बाह्य सहायता के लिए परियोजनाओं के निर्धारण पर लागू किया जाए तथा इसे विधिवत दस्तावेज के रूप से रखा जाना चाहिए।
- आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताओं का एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस विकसित किया जाए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि लोक ऋण सूचना व्यवस्था (ई कुबेर और आई सी एस) विश्लेषणात्मक कार्यों में सहायता प्रदान करें।
- आर बी आई और डी ई ए एवं डी ई ए के विभिन्न प्रभागों द्वारा लोक ऋण की रिपोर्टिंग में निरन्तरता सुनिष्चित करने के लिए तंत्र विकसित किया जाए।

दिनांक : 14 जून 2016
स्थान : नई दिल्ली

(माला सिन्हा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक : 22 जून 2016
स्थान : नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक